न्यायालय:-अपर सेशन न्यायाधीश धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी: राकेश गोयल, आरजेएस (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

अतिरिक्त कार्यभार

विविध दीवानी अपील संख्या- 02/26

सीआईएस संख्या- 02/26

ललित पाल पुत्र केदार सिंह निवासी शारदे विद्यापीठ के पास गौशाला आरएसी लाईन के पास धौलपुर

....अपीलार्थी/प्रार्थी

बनाम

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर तामील जरिये-

1. प्रबंधक निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर, विद्युत भवन ज्योति नगर सी. स्कीम जयपुर

2. सहायक अभियंता (ए-प्रथम) शहरी क्षेत्र जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, धौलपुर, वाटर वक्स, मचकुण्ड के चौराहे के पास जी.टी. रोड धौलपुर

...प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 22.01.26 मुकदमा विविध दीवानी प्रकरण संख्या 135/25 शीर्षकीय ललित पाल बनाम जेवीवीएनएल धौलपुर न्यायालय सिविल न्यायाधीश, धौलपुर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध, पीठासीन अधिकारी सुमन मीणा, आरजेएस

उपस्थित:-

01. विद्वान अधिवक्ता श्री जयप्रकाश त्यागी, अपीलार्थी की ओर से।

02. विद्वान अधिवक्ता श्री हरीशंकर मुद्गल, प्रत्यर्थीगण की ओर से।

- निर्णय - **दिनांक: 09.03.2026**

1. अपीलार्थी/प्रार्थी की ओर से यह अपील न्यायालय सिविल न्यायाधीश, धौलपुर के द्वारा विविध दीवानी प्रकरण संख्या 135/25 ललित पाल बनाम जेवीवीएनएल धौलपुर में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया गया, उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी ललित के द्वारा उक्त अपील श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर के समक्ष पेश की गई जहां से यह अपील अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने एक वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा के साथ हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रक्रिया संहिता का पेश कर कथन किया कि अप्रार्थीगण के विभाग से प्रार्थी को विद्युत संबंधी सेवायें सुविधायें उपलब्ध कराने व विद्युत बिल आदि प्रेषित करने जमा कराने आदि की सुविधा की दृष्टि से विद्युत कनेकशन एआईपी श्रेणी का विद्युत खाता संख्या 2306-1729, जिसका के.नं. 210911029483 प्रदान किया गया। जिसका विद्युत मीटर संख्या 38619 लगा हुआ है। प्रार्थी के आवास पर दिनांक 28.10.25 को समय 07.50 पर प्रार्थी के आवास पर कोई उपस्थित नहीं था, अप्रार्थीगण सतर्कता दल के अधिकारी द्वारा प्रार्थी के आवास पर मुख्य द्वार पर छज्जे पर कई केबिलों की सर्विस लाइन को देख्तो हुए कयास के आधार पर विद्युत का कोई उपयोग, उपभोग नहीं होते हुए भी एक वी.सी.आर. नंबर 189452 कायम कर गलत आरोप लगाते हुए प्रशमन राशि (कमाण्ड राशि) 8040/- व सिविल लाईबिटी के रुप में 33487/- रुपये की मांग की, जो अवैधानिक व न्यासंगत न होने से प्रार्थी उसे प्रभावहीन व शून्य घोषित करा पाने का हकदार है। वीसीआर नंबर 189452 से प्रार्थी प्रथम दृष्ट्या किसी प्रकार का विद्युत उपयोग, विद्युत चोरी का अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी को कोई नोटिस वीसआर की राशि बाबत् आज तक प्रेषित नहीं किया गया है, ना वीसीआर की प्रति उपलब्ध करायी है। वीसीआर की राशि को आवेदक के विद्युत बिल माह नवंबर 2025 में लगाकर आवेकद को जमा न कराने पर विद्युत कनेक्शन काटने की धमकी दी। अतः अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करावें कि प्रार्थी पर गलत आरोपित राशि 33489/- को वसूल न करे, करंट उपयोग, उपभोग के बिल प्राप्त करते रहे और उक्त वीसीआर की राशि के संदर्भ में प्रकरण के निस्तारण तक विद्युत कनेक्शन को विच्छेद न करें।

3. प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण की ओर से जबाव पेश कर कथन किये हैं कि परिवादी का उक्त व्यवसायिक एस आई पी विद्युत कनेक्शन (खाता संख्या 23061729) के सापेक्ष उपभोक्ता होना स्वीकार है। निगम के सतर्कता दल द्वारा दिनाक 28.10.2025 को परिवादी के व्यवसायिक विद्युत कनेक्शन की सतर्कता जांच के दौरान उक्त उपभोक्ता समीप से जा रही निगम की एल टी लाईन से जम्फर डाल कर विद्युत का अवैध रूप से विद्युत चोरी कर उपभोग करता पाया गया। इसके पश्चात मौके पर पाये गये तथ्यो व साक्ष्यो के अनुरूप उक्त उपभोक्त के विरुद्ध वी सीआर संख्या 189452 कायम की गई तथा उक्त वी सी आर की कुल जुर्माना राशि जमा कराने हेतु परिवादी को निगम नियमानुसार नोटिस जारी किया ग गया। निगम के सतर्कता दल द्वारा मौके पर विद्युत चोरी के पाये गये

तथ्यो व साक्ष्यो के अनुरूप निगम नियमानुसार सही वी सी आर भरी गई है। वी सी आर रहभरने के पश्चात परिवादी को जुर्माना राशि जमा करने हेतु कार्यालय से निगम नियमानुसार नोटिस जारी किया गया है। यदि परिवादी द्वारा निगम की उक्त जुर्माना राशि निगम कोष मे जामा नही कराई गई है तो निगम को अपरिमित क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण विद्युत चोरी से सम्बन्धित है जिसका श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को हासिल ना होकर विशिष्ठ न्यायालय माननीय ए डी जे धौलपुर को प्राप्त है। अतः प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

4. विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुनकर प्रार्थी/अपीलार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 22.01.26 को अस्वीकार कर खारिज किया है, जिससे व्यथित होकर अपील में अंकित आधारों पर अपीलार्थी/प्रार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

5. इस अपील को निस्तारित करने के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

क्या विद्वान विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश धौलपुर का विविध दीवानी प्रकरण संख्या 135/25 ललित बनाम जेवीवीएनएल में पारित आदेश दिनांक 22.01.26 विधि सम्मत है?

6. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से यह तर्क दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.01.2026 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व रिकॉर्ड के विपरीत है जो काबिले कायम रहने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने विद्युत विभाग के फोटो VCR पर न तो कोई मनन किया न उनका ध्यान पूर्वक अब्लोकन किया अपीलान्ट के मुख्य प्रवेश द्वारा पर जो छज्जा दिखाया गया है अपीलान्ट का आवास उस गली में प्रथम है उक्त आवास अपीलान्ट के आवास व उसके आवास के बाद के आवास की सभी की कनेक्शन सर्विस लाइन अपीलान्ट के मुख्यद्वार के ऊपर होकर निकल रही है जिनके आधार पर VCR भरना कहा जाता है कोई लाइन एक्ट्रा अपीलान्ट के आवास पर नही दिखायी गयी है उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जारी करने में कानूनी भूल की है। VCR फोटो में किसी भी प्रकार से अपीलान्ट द्वारा प्रथम दृष्टा विद्युत दुरुप्रयोग साबित न होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के तथ्यो पर गौर न करके आदेश जारी करने में कानमी मूल की है जिसके कारण भी आदेश काबिले निरस्ती की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने जन मानस की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान न रखकर आदेश जारी किया है । अंत में अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर अपीलांट का विद्युत संयोजन करने का आदेश दिये जाने का निवेदन किया।

7. प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विधि सम्मत होना बताते हुये अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

8. उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

9. प्रार्थी द्वारा यह आधार लिया है कि विद्युत विभाग द्वारा उसके विद्युत कनैक्शन पर गलत रूप से वी.सी.आर. भरी जाकर उससे राशि की मांग की गई है और उसके विद्युत कनैक्शन को काट दिया गया है । इस संबंध में प्रार्थी के द्वारा दावा किया हुआ है जिसमें प्रार्थी की वीसीआर प्रत्यर्थीगण के द्वारा सही भरी गई है अथवा नहीं, इसका निस्तारण दोनों पक्षों की साक्ष्य आने के उपरांत ही हो सकेगा । इस संबंध में दोनों पक्षों में विवाद विद्यमान है । इस प्रकार प्रथमदृष्टया मामला बनना पाया जाता है । जहां तक सुविधा का संतुलन का प्रश्न है तो विद्युत आम जनता की आवश्यकता है, विद्युत के बिना रोजमर्रा के काम संपन्न किया जाना संभव नहीं है । यदि प्रार्थी को केवल वीसीआर की राशि न भरने पर वंचित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अपीलांट को प्रत्यर्थी की अपेक्षा ज्यादा असुविधा होगी और उसे मानसिक व शारीरिक संताप होगा । इस प्रकार उसे अपूरणीय क्षति भी होगी । आवेदक को दोषी सिद्ध करने से पूर्व विद्युत कनेक्शन काटना उसको दण्डित किये जाने के बराबर है, जो कि न्यायसंगत नहीं है, वह जन सुविधाओं से वंचित हो रहा है और मूल वाद के निस्तारण में समय लगेगा । विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी के विद्युत कनैक्शन को काट दिये जाने से उसे जन सुविधाओं से वंचित होना पड रहा है । अपीलार्थी के द्वारा उस पर गलत आरोपित राशि 33487/- रूपये राशि में से 50 प्रतिशत राशि जमा करा दिये जाने पर उसका विद्युत कनैक्शन जोड दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

- आदेश -

10. अतः अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलार्थी द्वारा उस पर गलत आरोपित राशि 33487/- रूपये का 50 प्रतिशत राशि जमा करा दिये जाने पर उसका विद्युत कनैक्शन जोडा जावे । विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश धौलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.01.26 को अपास्त किया जाता है । निर्णय की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली भिजवायी जावे।

(राकेश गोयल)
(अतिरिक्त कार्यभार)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
धौलपुर (राज0)

11. निर्णय आज दिनांक 09.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर सुनाया गया।

(राकेश गोयल)
(अतिरिक्त कार्यभार)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
धौलपुर (राज0)